भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2741

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है ।

20 अग्रहायण, 1946 (शक)

इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना

2741.श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण हेतु विनियमक वातावरण में सुधार लाने के लिए किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश भर, विशेषकर पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण के लिए उभर रहे अवसरों का आकलन करती है अथवा आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विदेशी निवेशकों अथवा कंपनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है अथवा प्रवेश करने का विचार है;

(घ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन निवेशों और सुधारों के माध्यम से रोजगार सृजन की अनुमानित संभावनाएं क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.):इलेक्ट्रॉनिकीवेल्यू चेन के क्षेत्र मेंबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेऔरप्रोत्साहितकरनेतथानिर्यातकोबढ़ावादेनेकेलिएनिम्नलिखितयोजनाएंऔ रहस्तक्षेपकिएगएहैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिकीकेलिएबड़ेपैमानेपरउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहन (पीएलआई) योजना**:** अबतकइसपीएलआईयोजनाकेतहत 9,349 करोड़रुपयेकावृद्धिशीलनिवेशकियागयाहै। इससे 6 लाखकरोड़रुपयेसेअधिककाउत्पादनहुआहै।

(ii) आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना: इसपीएलआईयोजनाकेतहतअबतक 501 करोड़रुपयेकावृद्धिशीलनिवेशकियागयाहै। इससे 10,245 करोड़रुपयेसेअधिककाउत्पादनहुआहै।

(iii) सरकारनेदेशमेंसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपयेकेकुलपरिव्ययकेसाथसेमीकॉनइंडियाकार्यक्रमकोमंजूरीदीहै। उक्तकार्यक्रमकेतहतनिम्नलिखितचारयोजनाएंशुरूकीगईहैं:

क. 'भारतमेंसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'- इस योजना के अंतर्गतभारतमेंसिलिकॉनसीएमओएसआधारितसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिए पारि-पास्सु के आधार पर परियोजनालागतकी 50% राशिकीवित्तीयसहायताप्रदानकी गई है।

ख. 'भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना' भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएपरियोजनालागतकी 50% राशिकीवित्तीयसहायताप्रदानकी गई है।

ग. 'भारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स/सेंसरफैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैबऔरसेमीकंडक्टरअसेंबली, टेस्टिंग, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'- भारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर/सिलिकॉनफोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएससहित) फैब/डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैबऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी/ओएसएटीसुविधाओंकी स्थापनाकेलिएपारि-पास्सु के आधार पर पूंजीगतव्ययकी 50% राशिकीराजकोषीयसहायताप्रदानकी गई है।

घ. 'डिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन(डीएलआई) योजना'-डिजाइनअवसंरचनासहायताकेअलावा, इसयोजना मेंप्रतिआवेदन 15 करोड़ रुपयेकीअधिकतम सीमा के अधीनव्यय पात्रता की50 % तक "उत्पादडिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन राशि" और 5 वर्षोंकेशुद्धबिक्रीटर्नओवरकी6 % से 4 % तक की "डिप्लायमेंटलिंक्डप्रोत्साहन राशि" प्रदानकी गई है लेकिन यह राशि 30 करोड रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकारनेमोहालीस्थितसेमीकंडक्टरप्रयोगशालाकेआधुनिकीकरणकोभीमंजूरीदेदीहै। इसकेअलावा, सेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासमेंसहयोगकेलिएसिंगापुर, अमेरिका, यूरोपीयसंघऔरजापानकेसाथसमझौताज्ञापनपरहस्ताक्षरकिएगएहैं।

अप्लाइडमैटीरियल्सद्वारा 4 वर्षोंमें 400 मिलियनडॉलरकेनिवेशकेसाथबेंगलुरुमेंएकसहयोगीइंजीनियरिंगकेंद्रस्थापितकिया गयाहै। यहइंजीनियरिंगकेंद्रसेमीकंडक्टरविनिर्माणउपकरणोंकेलिएप्रौद्योगिकियोंकेविकासऔरव्यावसायीकरण परकेंद्रितहै। एएमडीनेबेंगलुरुमेंअपनासबसेबड़ावैश्विकडिज़ाइनकेंद्र, एएमडीटेक्नोस्टारस्थापितकियाहै। यहकेंद्र 3डीस्टैकिंग, आर्टिफिशियलइंटेलिजेंसऔरमशीनलर्निंगसहितसेमीकंडक्टरप्रौद्योगिकीकेडिजाइनऔरविकासपरकेंद्रितहै।

भारतएकमजबूतसेमीकंडक्टरईकोसिस्टमबनानेकीदिशामेंआगेबढ़रहाहै। सेमीकंडक्टरइंडियाकार्यक्रमकेतहत 1,48,746 करोड़रुपयेकेसंचयीनिवेशवाली 4 सेमीकंडक्टरइकाइयोंकोमंजूरीदीगईहै। इनइकाइयोंपरनिर्माणकार्यतेजीसेचलरहाहै।

डिजाइनलिंक्डइंसेंटिवस्कीमकेतहत 15 सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोसहायतादीजारहीहै। इसकेअतिरिक्त, 41 सेमीकंडक्टरडिजाइनकंपनियोंकोसी-डैकबेंगलुरुमेंचिपिनसेंटरमेंस्थापितराष्ट्रीयईडीएटूलग्रिडद्वाराउपलब्धकराएगएईडीएउपकरणोंतकपहुंच केलिएमंजूरीदीगईहै।

इनपहलोंकेपरिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिकीकाघरेलूउत्पादनवित्तवर्ष 2019-20 में 5,33,550 करोड़रुपयेसेबढ़करवित्तवर्ष 2023-24 में 9,52,200 करोड़रुपयेहोगयाहै, जिससेलगभग 16% कीचक्रवृद्धिवार्षिकदर से ('सीएजीआर') वृद्धि हुईहै। उद्योगकेअनुमानकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रमेंलगभग 25 लाखरोजगार (प्रत्यक्षऔरअप्रत्यक्ष) पैदा हुएहैं।

अप्रैल 2019 सेअबतकभारतकोइलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रकी 356 कंपनियोंसेलगभग 3,290 मिलियनअमेरिकीडॉलर (लगभग 28 हजारकरोड़रुपये) काप्रत्यक्षविदेशीनिवेशप्राप्तहुआहै। इलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रमेंप्राप्तवर्षवारप्रत्यक्षविदेशीनिवेशइसप्रकारहै:

वित्तीयवर्ष	**निवेश (मिलियनअमेरिकीडॉलरमें)**
2019-20	422.37
2020-21	375.31
2021-22	416.99
2022-23	539.96
2023-24	695.75
2024-25 (Q2 तक)	839.57
कुल	**3289.94**
स्रोत: एफडीआईसेल, डीपीआईआईटी	

इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणके क्षेत्र मेंअवसरअखिलभारतीयस्तर पर होतेहैं। कईराज्योंनेइस क्षेत्रमेंइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रविकसितकरनेकेलिएइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणपरअपनीस्वयं कीनीतियांविकसितकीहैं, जोइसप्रक्रियामेंराष्ट्रीयनीतियोंकीपूरकहैं। इसलिए, पश्चिमबंगालसहितकोईभीराज्य/केंद्रशासितप्रदेश अपनेराज्यमेंइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रविकसितकरनेकेअवसरकालाभउठासकताहै।

देशमेंइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणसे संबंधितनियामकपरिवेशमेंसुधारकेलिएनिम्नलिखितउपायकिएगएहैं:

(i) प्रमाणनके क्षेत्र मेंव्यापक रूप से लचीलापन लानेकेलिएअनिवार्यपंजीकरणआदेश: यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिदेशमेंनिर्मितइलेक्ट्रॉनिकउत्पादसुरक्षामानकोंकेअनुरूपहों, सरकारनेबीआईएसअधिनियम 2016 केतहतबीआईएसअनुरूपतामूल्यांकनविनियमन, 2018 कीयोजना-II केअनुसारइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसामान (अनिवार्यपंजीकरणकीआवश्यकता) आदेश, 2021 कीअनुसूचीकेतहतइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकोअधिसूचितकियाहै। विवरणएमईआईटीवाईकीवेबसाइट (http://meity.gov.in/esdm/standards) परउपलब्धहैं।

(ii) चरणबद्धविनिर्माणकार्यक्रम (पीएमपी): सेलुलरमोबाइलहैंडसेट, कलाईमेंपहननेयोग्यउपकरण (जिन्हेंआमतौरपरस्मार्टघड़ियोंकेरूपमेंजानाजाताहै) औरश्रवणयोग्यउपकरणतथाउनकेउप-संयोजनों/इनपुटों/भागों/उप-भागोंमेंघरेलूमूल्यसंवर्धनकोबढ़ावादेनेकेलिएपीएमपीकोअधिसूचितकियागयाहै।

(iii) खरीदप्राप्तिआदेश (पीपीओ):इस सार्वजनिकखरीदआदेश के अंतर्गतसार्वजनिक क्षेत्र मेंघरेलूस्तरपरनिर्मितउत्पादोंकोप्राथमिकतादी गयीहै, ताकिस्थानीयमूल्यसंवर्धनमेंउत्तरोत्तरवृद्धिकरकेघरेलूउद्योगकीक्षमताओंकोबढ़ायाजासके, जिससेआत्मनिर्भरताकेव्यापकलक्ष्यको प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(iv) सीएचआईएमपोर्टलपरअनिवार्यपंजीकरणकोबंदकरनेकेलिएआयातनीतिमेंसंशोधन: डीजीएफटीनेअधिसूचना 41/2024-25 दिनांक 29.11.2024 केमाध्यमसेआईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयातनीति) केअध्याय 85 केअंतर्गतआनेवालेसेमीकंडक्टरचिप्सकेआयातकेलिएआईटीसीएचएसकोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 केलिएचिपआयातनिगरानीप्रणाली

(सीएचआईएम) केतहतअनिवार्यपंजीकरणकोबंदकरदियाहै। इससेइलेक्ट्रॉनिकीऔरसेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेलिएव्यापारकरनेमेंआसानीबढ़ेगी।

(v) 100% प्रत्यक्षविदेशीनिवेश (एफडीआई) : मौजूदाएफडीआईनीतिकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माण (भारतकेसाथभूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोछोड़कर) केलिएआटोमैटिक रूटकेतहत 100% तकएफडीआईकीअनुमतिहै, जोलागूकानूनों/नियमों; सुरक्षाऔरअन्यशर्तोंकेअधीनहै। भूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोएफडीआईकीमंजूरीप्रेसनोट 3 (पीएन 3) अधिसूचनाकेमाध्यमसेदीजारहीहै।

(vi) पीएलआईक्षेत्रकेलिएवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसरलबनाना:
सरकारनेइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणकेलिएपीएलआईअनुमोदितकंपनियोंसेपीएलआईक्षेत्रकेअंतर्गत आनेवालीकिसीभीकंपनीकेलिएपीएलआईव्यवसायवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसंशोधितऔरविस्तारितकियाहै। इसकेअलावा, पीएलआईव्यवसायवीज़ाकेलिएआवेदनकरनेकीप्रक्रियाकोपूरीतरहसेऑनलाइनकरदियागयाहै।

(vii) इलेक्ट्रॉनिकीवेल्यू चेनऔरएमओडब्लूआरइकाइयोंमेंरियायतीदर (आईजीसीआर) परमालकेआयातपरस्पष्टीकरण: सीबीआईसीनेपरिपत्रसंख्या 26/2024-सीमा शुल्कदिनांक 21.11.2024 केमाध्यमसेस्पष्टकिया हैकिमध्यस्थ वस्तुनिर्माताद्वाराआयातकिएजारहेसामानजोकिसेलुलरमोबाइलफोनकेअंतिमनिर्माताकोकुछविनिर्माण/मूल्यसंवर्धनकेबादआगेकीआपूर्तिकेलिए एमओडब्लूआरइकाईहैं, आईजीसीआरनियम, 2022 केतहतशुल्ककीरियायतीदरकेलाभकेलिएविधिवतपात्रहैं, लेकिन इसके लिएअन्यसभीशर्तेंपूरीहोनी चाहिए। इसकेअलावा, यहभीस्पष्टकियागयाहैकिएमओडब्लूआरइकाईअबआईजीसीआरछूटकेसाथ-साथशुल्कस्थगनकालाभउठासकतीहै, बशर्तेकि उसके द्वाराआईजीसीआरनियमोंऔरएमओडब्लूआरप्रावधानोंमेंनिर्धारितशर्तोंकाअनुपालनकिया गया हो।

(viii) सेक्शन 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/सेक्शन 65 इकाईमेंमालकीआवाजाहीपरस्पष्टीकरण:
सीबीआईसीनेनिर्देशसंख्या 16/2024- सीमाशुल्कदिनांक 25.06.2024 केतहतस्पष्टकियाहैकिसेक्शन 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/सेक्शन65 इकाईमेंपरिणामीमालकेहस्तांतरणकीअनुमतिएमओडब्ल्यूआरकेतहतनिर्धारितशर्तोंकेअनुपालन केअधीनहै।

(ix) श्रव्यऔरपहननेवालीवस्तुओंकेविनिर्माणमें सहायताकेलिएसंशोधन:
सीबीआईसीनेअधिसूचनासंख्या 33/2023-सीमा शुल्कदिनांक 27.04.2023 केतहतश्रव्यऔरपहननेवालीवस्तुओंकीपीएमपीअधिसूचनामेंसंशोधनकिया, जिसमेंकहागयाकिसीमाशुल्कअधिनियम, 1975 कीपहलीअनुसूचीकीव्याख्याकेसामान्यनियमोंकेनियम 2 (क) काप्रावधानघटकों/इनपुट/भागों/उप-भागोंकेआयातपरलागूनहींहोगा, भलेहीऐसेसामानएकसाथप्रस्तुतकिएजाएं।

(x) टैरिफसंरचनाको युक्तिसंगत बनाना:
इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेघरेलूविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएटैरिफसंरचनाकोयुक्तिसंगतबनायागया है, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथसेलुलरमोबाइलफोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिकघटक, टीवीकेलिएसेटटॉपबॉक्स, एलईडीउत्पादऔरमेडिकलइलेक्ट्रॉनिकीउपकरणशामिलहैं।

(xi) पूंजीगतवस्तुओंपरमूलसीमाशुल्कसेछूट:

निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंको "शून्य" मूलसीमाशुल्कपरआयातकीअनुमतिहै।

(xii) प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात:

इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणउद्योगद्वाराउपयोगकेलिएकमसेकम 5 वर्षोंकेअवशेषजीवनवालेप्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकेआयातकोखतरनाकऔरअन्यअपशिष्ट (प्रबंधनऔरसीमापारआवागमन) नियम, 2016 मेंवनऔरजलवायुपरिवर्तनमंत्रालयकीअधिसूचना,दिनांक 11.06.2018 केअनुसारसंशोधनकेमाध्यमसेसरलबनायागया है।

****